

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 26/2023

दर्ज दिनांक 20.02.2023

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2023/78

अन्तर्गत धारा :- 53, 188 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. धन्नी पत्नि नौरतमल सुथार निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. कैलाशचन्द्र आत्मज नन्दराम जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छाउ पत्नि लालु लौहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक नाम डिलिट
3. नारायण आत्मज बक्षु जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पारस आत्मज बक्षु जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मांगीलाल आत्मज बक्षु जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मथरा आत्मज लालु लौहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शंकर आत्मज लालु लौहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. जगदीश आत्मज गोपाल लौहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 8/1. भरत आत्मज जगदीश लौहार ना.ब. जरिये सरंक्षक माता लीला लौहार निवासी रायपुर
- 8/2. मुरली पुत्र जगदीश लौहार ना.ब. जरिये सरंक्षक माता लीला लौहार निवासी रायपुर
- 8/3. लीला पत्नि जगदीश लौहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भगवतीलाल आत्मज कन्हैयालाल ना.ब. जरिये सरंक्षक माता लाली लौहार निवासी रायपुर
10. रेखा पुत्री कन्हैयालाल ना.ब. जरिये सरंक्षक माता लाली लौहार निवासी रायपुर
11. विनोद आत्मज कन्हैयालाल ना.ब. जरिये सरंक्षक माता लाली लौहार निवासी रायपुर
12. लाली पत्नि कन्हैयालाल लौहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. लेहरी पत्नि गोपाल लौहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
15. ग्राम सेवा सहकारी समिति रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

उपस्थित

1. रितेष सुराणा – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 एकपक्षीय

:: निर्णय ::




सहायक कलक्टर
(रायपुर जिला)

दिनांक:-23/4/2026

1. वादपत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 14.08.2025 के द्वारा वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के वैरुन हल्का आवादी में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3627, 3634, 3852, 3853, 3854, 3855 कुल किता 6 कुल रकबा 1.40 है0 भूमि वादिया का 1/6 हिस्से का मौके पर कब्जे को संज्ञान में रखते हुए वाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।
2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भूअ./2026/प्र.स./26/369 दिनांक 02.04.2026 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।
4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।


क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	धन्नी पत्नि नोरतमल सुथार सा.देह खातेदार रहन वीआरकेजीवी शाखा रायपुर	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 207)	3634/2	0.0433
		योग	1	0.0433
2	1. कैलाशचन्द्र पुत्र नन्दराम जाट हि. 1/5 सा. देह 2. नारायण पुत्र बक्षु जाट हिस्सा 1/5 सा. देह 3. पारस पुत्र बक्षु जाट हिस्सा 1/5 सा. देह 4. मथरा पुत्र लालु लौहार हिस्सा 1/15 सा.रायपुर 5. मांगीलाल पुत्र बक्षु जाट हिस्सा 1/5 सा.देह 6. शंकर पुत्र लालु लोहार हिस्सा 1/15 सा. रायपुर 7. छाउ पत्नि लालु लोहार हिस्सा 1/15 सा.रायपुर	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 207)	3627 3634/1	0.0800 0.1367
		योग	2	0.2167
3	धन्नी पत्नि नोरतमल सुथार सा. रायपुर रहन वीआरकेजीवी शाखा रायपुर	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 209)	3852/2	0.1900
		योग	1	0.1900
	1. नारायण पुत्र बक्षु हिस्सा 4/15 जाट सा.देह रहन जीएसएस रायपुर 2. पारस पुत्र बक्षु हिस्सा 4/15 जाट सा.देह 3. नावालिग भगवतीलाल पुत्र कन्हेयालाल सरंक्षक माता लालीदेवी हिस्सा 1/60 लुहार सा.रायपुर	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 209)	3852/1 3853 3854 3855	0.4100 0.1800 0.1800 0.1800



20
जयपुर
राजस्थान


4. भरत पुत्र जगदीश हि0 1/45 लुहार सा.रायपुर			
5. मुरली पुत्र जगदीश हि0 1/45 लुहार सा.रायपुर			
6. मांगीलाल पुत्र बक्षु हि0 4/15 जाट सा.देह			
7. नाबालिक रेखा पुत्री कन्हैयालाल सरंक्षक माता लालीदेवी हि0 1/60 लुहार सा.रायपुर			
8. लहरी पत्नि गोपाल हि0 1/15 लुहार सा.रायपुर			
9. लालीदेवी पत्नि कन्हैयालाल हि0 1/60 लुहार सा. रायपुर			
10. लीलादेवी पत्नि जगदीश हि0 1/45 लुहार सा. रायपुर			
11. नाबालिक विनोद पुत्र कन्हैयालाल सरंक्षक माता लालीदेवी हि0 1/60 लुहार सा. रायपुर			
	योग	4	0.9500

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दंखलदाजी न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।


 (करुणा लाडोती)
~~सहायक कलक्टर पदेन~~
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 23/4)26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
 (करुणा लाडोती)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर०ए०एस०)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 26/2023
जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2023/78
अन्तर्गत धारा :- 53, 188 आर.टी.एक्ट

दर्ज दिनांक 20.02.2023

उनवान

1. धन्नी पत्नि नौरतमल सुथार निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. कैलाशचन्द्र आत्मज नन्दराम जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. छाउ पत्नि लालु लौहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक नाम डिलिट
3. नारायण आत्मज बक्षु जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. पारस आत्मज बक्षु जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मांगीलाल आत्मज बक्षु जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मथरा आत्मज लालु लौहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शंकर आत्मज लालु लौहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. जगदीश आत्मज गोपाल लौहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 8/1. भरत आत्मज जगदीश लौहार ना.ब. जरिये सरंक्षक माता लीला लौहार निवासी रायपुर
- 8/2. मुरली पुत्र जगदीश लौहार ना.ब. जरिये सरंक्षक माता लीला लौहार निवासी रायपुर
- 8/3. लीला पत्नि जगदीश लौहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भगवतीलाल आत्मज कन्हैयालाल ना.ब. जरिये सरंक्षक माता लाली लौहार निवासी रायपुर
10. रेखा पुत्री कन्हैयालाल ना.ब. जरिये सरंक्षक माता लाली लौहार निवासी रायपुर
11. विनोद आत्मज कन्हैयालाल ना.ब. जरिये सरंक्षक माता लाली लौहार निवासी रायपुर
12. लाली पत्नि कन्हैयालाल लौहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. लेहरी पत्नि गोपाल लौहार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
15. ग्राम सेवा सहकारी समिति रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण




:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

निर्णय दिनांक : 23/4/2026

डिक्री दिनांक : 23/4/2026


जिला सहायक कलक्टर
(राजस्थान, भीलवाड़ा)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूवरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री रितेष सुराणा, व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	धन्नी पत्नि नोरतमल सुथार सा.देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 207)	3634/2	0.0433
		योग	1	0.0433
2	1. कैलाशचन्द्र पुत्र नन्दराम जाट हि. 1/5 सा. देह 2. नारायण पुत्र बक्षु जाट हिस्सा 1/5 सा. देह 3. पारस पुत्र बक्षु जाट हिस्सा 1/5 सा. देह 4. मथरा पुत्र लालु लौहार हिस्सा 1/15 सा.रायपुर 5. मांगीलाल पुत्र बक्षु जाट हिस्सा 1/5 सा.देह 6. शंकर पुत्र लालु लोहार हिस्सा 1/15 सा. रायपुर 7. छाउ पत्नि लालु लोहार हिस्सा 1/15 सा.रायपुर	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 207)	3627 3634/1	0.0800 0.1367
		योग	2	0.2167
3	धन्नी पत्नि नोरतमल सुथार सा. रायपुर रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 209)	3852/2	0.1900
		योग	1	0.1900
4	1. नारायण पुत्र बक्षु हिस्सा 4/15 जाट सा.देह रहन जीएसएस रायपुर 2. पारस पुत्र बक्षु हिस्सा 4/15 जाट सा.देह 3. नाबालिग भगवतीलाल पुत्र कन्हैयालाल सरंक्षक माता लालीदेवी हिस्सा 1/60 लुहार सा.रायपुर 4. भरत पुत्र जगदीश हि0 1/45 लुहार सा.रायपुर 5. मुरली पुत्र जगदीश हि0 1/45 लुहार सा.रायपुर 6. मांगीलाल पुत्र बक्षु हि0 4/15 जाट सा.देह 7. नाबालिक रेखा पुत्री कन्हैयालाल सरंक्षक माता लालीदेवी हि0 1/60 लुहार सा.रायपुर 8. लहरी पत्नि गोपाल हि0 1/15 लुहार सा.रायपुर 9. लालीदेवी पत्नि कन्हैयालाल हि0 1/60 लुहार सा. रायपुर 10. लीलादेवी पत्नि जगदीश हि0 1/45 लुहार सा. रायपुर 11. नाबालिक विनोद पुत्र कन्हैयालाल सरंक्षक माता लालीदेवी हि0 1/60 लुहार सा. रायपुर	ग्राम सुरजपुरा (खाता संख्या 209)	3852/1 3853 3854 3855	0.4100 0.1800 0.1800 0.1800
		योग	4	0.9500


उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दखलदाजी न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



Handwritten signature and official stamp of the District Collector, Raipur, Rajasthan. The stamp text includes 'जिला अधिकारी रायपुर' (District Collector Raipur) and 'राजस्थान सरकार' (Government of Rajasthan).


नीजNil.....मुबलिंग Nilवाबत् Nil
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की
 तारीख से तारीख वसूलयावी तक Nilका अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/4/202 को जारी किया गया।


 (करुणा लाड़ोती)
~~सहायक कलेक्टर पदेन~~
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मुद्द	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ()	—		महनताना वकील ()	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		




 सहायक कलेक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
~~(सहायक कलेक्टर पदेन)~~